

पर्वी डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उन० 124/2025

अरविन्द सिंह पुत्र दोना सिंह जाति रायसिख निवासी ढाणी 13 एनजीसी चन्दूरवाली तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

दोना सिंह पुत्र दन्तारसिंह

गुरजन्त सिंह पुत्र दोना सिंह

छिन्द कौर पत्नी दोनासिंह

नीलम पुत्री दोना सिंह पत्नी मर्नजीत सिंह

संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।

जाति रायसिख निवासीयान ढाणी चक 13 एनजीसी

चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

कीकरवाली तहसील

तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।


प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 9/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री परमजीतसिंह व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० चक नं० 13 एनजीसी के प०न० 202/267 मु० 10 किलानं० 15/1/.228, 15/2/.025, 24/3/.0423, प०न० 202/268 मु० 11 किलानं० 13/.253 है० आराजी को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 13 एनजीसी के खाता सं० 121/35 मे से प्रतिवादी सं० 1 दोना सिंह का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, इसी अनुसार वादी का हिस्सा तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्वी डिक्री आज दिनांक 9/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी